

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

पीठारीन अधिकारी: ओमप्रकाश वर्मा (आर०ए०एस०)  
 राजस्व वाद संख्या : 168 / 2025  
 जीसीएमएस संख्या- 2025 / 558  
 निर्णय दिनांक: 26.12.2025

ताराचन्द बनाम राजस्थान सरकार

—:निर्णय:—

दिनांक: 26.12.2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह वाद-पत्र वादिनी ताराचन्द पुत्र पेमाराम जाति जाट निवासी ग्राम साण्डन तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने के से वाद पत्र की पत्रावली संधारित की गयी। राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम साण्डन की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 95 में वादिनी का नाम तारूराम दर्ज है। जो गलत है। वादिनी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार ताराचन्द अंकित है। वादिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वाद पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट संलग्न है। शिविर प्रभारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का नाम तारूराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भूअ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार वादिनी का नाम ताराचन्द है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परियच पत्र, वोटर आईडी कार्ड एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंषा से वादिनी का नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्ध होना सिद्ध होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि वादिनी का नाम निम्नलिखित तालिका में कॉलम संख्या 05 में अंकित अनुसार है जो वादिनी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2074-2077 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	साण्डन	95	तारूराम	ताराचन्द

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्त जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
सुजानगढ़ (चूरु)

**डिकरी व मुकदमें इत्तादाई**  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जन्मा दावानो)  
**(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)**

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ  
ताराचन्द बनाम राज. सरकार  
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती  
मुकदमा न0 168 रान 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु..... हाजरी ..... एड.  
मिनजानिब मुद्दई ..... मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है  
कि दावा वादिनी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिकरी किया जाकर प्रतिवादी  
तहसीलदार सुजानगढ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ की  
संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड के निम्न ग्राम की प्रविष्टि में अंकन निम्न तालिका  
अनुसार दुरुस्त किया जाए-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	साण्डन	95	तारुराम	ताराचन्द


अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ को भिजवाई जावे।

चीज ..... मुबलिंग ..... बाबत .....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ..... को अदा करे।

वसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 12 वर्ष 2025

न्यायालय मोहर

  
इस्ताक्षर  
पद

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये